संख्या० फा० 3(3)/2015-Imp-I

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

98, संसद भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 10-12-2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय : लोकसभा में दिये गये आश्वासनों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जाना।

--------XXXXX-----

लोकसभा के विभिन्न सत्रों के दौरान COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY मंत्रालय / विभाग से सम्बंधित निम्नलिखित आश्वासनों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन सभा पटल पर दिनांक 09-12-2015 को रखे गये।

	क्रम सं०	प्रश्न संख्या	प्रश्न	
	1	399	22-07-2015	⇒ DDG (Security)
DoP ⇐	2	419	22-04-2015	
DoP ⇐	3	563	06-05-2015	
	4	645	03-08-2011	⇒ DDG (ELS)
DoP ⇐	5	1407	29-07-2015	
	6	1575	21-07-2014	⇒ DDG (PSU)
	7	1652	03-12-2014	⇒ DDG (PG)
	8	2132	18-12-2013	⇒ DDG (PSU)
	9	2354	09-08-2010	⇒ DDG (TERM)
DoP. DY NO 964/Parl/15 15/12/15 ⇐	10	2394	05-02-2014	
	11	2496	11-03-2015	⇒ DSCT)/Policy-I

अनुरोध किया जाता है कि सभा पटल पर रखे गए रूप में उपरोक्त कार्यान्वयान प्रतिवेदन (प्रतिलिपी - संलग्न) का वेब लिंक/सॉफ्ट प्रति लोक सभा सचिवालय के ई-मेल आई डी cga-lss@sansad.nic.in पर भेज दी जाए।

14/12/15

अनुभाग अधिकारी (कार्या०-I)
टेलिफोन नं0 23035490

....मंत्रालय
COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

....विभाग

संसद अनुभाग, नई दिल्ली।

S/O(P)

सं.का.मं - रा.सू.के.

XV-VIII SESSION OF LOK SABHA 2011

Date of fulfillment: ~~22.11.2012~~ 5-8-15

Ministry of Communications & IT

Department of Telecommunications

Q. No. & Name of MP(S)	Subject	Promise made	How fulfilled	Remarks
Un - starred Question No. 645 dated 03.08.2011 Sh. S. Semmalai Sh. S. Alagiri Sh. Ijyaraj Singh Sh. Mangani Lal Mandal Sh. Jagadanand Singh	Radiation from Mobile towers / Phones Asking for – (c) the follow up action taken /proposed by the Government in this regard?	(c) Feedback received was being examined by the Government for appropriate action in the matter.	(c) The feedback from stakeholders received was placed before the Inter-Ministerial Committee for examination. After examination, the Inter-Ministerial Committee has submitted the final recommendation. The notification regarding acceptance of Inter-Ministerial Committee recommendations was issued by the Government on 17.11.2011. (Annexure – 'B')	The report of the Inter-Ministerial Committee was placed on website of Department of Telecom for feedback/comments. The feedback received was being examined, when the reply was submitted on 03.08.2011. Hence the follow up action taken /proposed to be taken by the Govt. in this regard could not be communicated. After due examination, Govt. issued notification on the recommendation of the Inter-Ministerial committee on 17.11.2011 revising the radiation norms, both in respect of BTS towers & mobile handsets (Annexure- 'B'). The revised norms made effective from 01.09.2012.

Rama Rani
Director (Electrical)

लोक सभा का XV-VIII सत्र, 2011
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

आश्वासन पूरा करने की तारीख ~~22.11.2012~~

प्रश्न सं0 और संसद सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कैसे पूरा किया गया	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
दिनांक 03.08.2011 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न सं0 645 श्री एस0 सेम्मलई, श्री एस0 अलागिरी, श्री इज्यराज सिंह, श्री मंगनीलाल मंडल, श्री जगदानंद सिंह	मोबाइल टावरों/फोनों से विकिरण पूछा गया था कि : (ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्रवाई/प्रस्तावित क्या है ?	प्राप्त हुए फीडबैक की सरकार द्वारा इस मामले पर उपयुक्त कार्रवाई हेतु जांच की जा रही है।	स्टेकहोल्डरों से प्राप्त फीडबैक अंतर्मंत्रालयीय समिति के समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत किया गया। जांच के पश्चात अंतर्मंत्रालयीय समिति ने अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत की है। अंतर्मंत्रालयीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के संबंध में सरकार द्वारा दिनांक 17.11.2011 को अधिसूचना जारी कर दी गई। (अनुबंध-ख)	अंतर्मंत्रालयीय समिति की रिपोर्ट फीडबैक/अभ्युक्तियों के लिए दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर डाला गया था। दिनांक 3.8.2011 को उत्तर प्रस्तुत करते समय प्राप्त हुए फीडबैक की जांच की जा रही थी। अतः इस संबंध में सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई सूचित नहीं की जा सकी। जांच के पश्चात सरकार ने बीटीएस टावरों और मोबाइल हैंडसेटों दोनों के संबंध में विकिरण संबंधी मानदंडों को संशोधित करते हुए अंतर्मंत्रालयीय समिति की सिफारिशों पर दिनांक 17. 11.2011 को अधिसूचना जारी की (अनुबंध-ख) । संशोधित मानदंड दिनांक 1.9.2012 से लागू कर दिए गए।

रम्मा रानी
निदेशक (इलैक्ट्रिकल)